न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 219/2014 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2014/00164

1. शिवराज सिंह पुत्र जलौर सिंह जाति जटसिंख साकिन चक 11 जीछोटी तहसील श्रीगंगानगर।
2. अमृतपाल कौर पत्नी शिवराजसिह जाति जटसिख साकिन चक 11 जीछोटी तहसील श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. बलदेवसिंह
2. जसविन्द्र सिह

} पिसरान जंगीरसिंह जाति जटसिख साकिन मटीलीराठान तहसील श्रीगंगानगर।

3. राजस्थान सरकार।
4. स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा पदमपुर जरिये मैनेजर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक एवं संगीता गहलोत — अभिभाषक अपीलांट
श्री सुरेश मोहता — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 2

निर्णय

दिनांक 03.02.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 31.05.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त कृषि भूमि चक 1–एलबड़ा मुरब्बा नंबर 36 के 25 बीघा भूमि अपीलांट्स ने बराबर–बराबर हिस्सा क्रय की। अपीलांट्स ने उक्त वादगत भूमि दिनांक 19.04.2008 को जरिये रजिस्ट्री बैय की। अपीलांट के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 378 दिनांक 06.05.2008 को दर्ज हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने उक्त आदेश दिनांक 06.05.2008 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर(प्रशासन) के समक्ष प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर ने उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की अपील को स्वीकार कर इंतकाल संख्या 378 दिनांक 06.05.2008 को निष्प्रभावी घोषित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर उक्त के आदेश दिनांक 31.05.2010 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट ने जरिये रजिस्ट्री मूल खातेदार हरिसिंह से खातेदारी भूमि दिनांक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

19.04.2008 को खरीद की थी और भूमि का कब्जा प्राप्त किया। राजस्व रिकॉर्ड में खाजेदार दर्ज था। अपीलांट के पक्ष में इंतकाल संख्या 377 दिनांक 25.04.2008 दर्ज हुआ। अपीलांट्स ने भूमि खरीद पश्चात अपनी खातेदारी भूमि के बाबत भूमि रखकर ऋण किया एवं इसके पश्चात रहननामें के आधार पर इंतकाल संख्या 378 दिनांक 06.05.2008 दर्ज हुआ जो कि नियमानुसार पूर्व के इंतकाल व खातेदारी के आधार पर सही दर्ज हुआ था प्रथम अपील न्यायालय ने बिना किसी आधार के निरस्त किया है। प्रथम अपील न्यायालय ने जो भी आदेश पारित किया है वह कानून की अनदेखी कर पारित किया है खातेदारी भूमि पर ऋण दिया था वह गलत नहीं था ना ही बेचवान आज तक निरस्त हुआ। ना ही प्रथम अपील न्यायालय में अपील पेश करने की कोई अनुमति प्राप्त की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें एवं प्रथम अपील न्यायालय का आदेश निरस्त फरमावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि 25 बीघा रकबा चक 1 एल बड़ा में हरिसिंह के नाम था। हरिसिंह ने दिनांक 25.08.1986 को बलदेवसिंह के साथ विक्रय का इंकरारनामा कर लिया। रजिस्ट्री न कराने पर सिविल न्यायालय में दावा कर दिया। सिविल न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.02.99 के अनुसार हरीसिंह को दो माह में रजिस्ट्री कराने का आदेश हुआ। हरीसिंह ने इस आदेश की अपील उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की, उच्च न्यायालय ने दिनांक 23.04.99 को स्टे कर दिया और दिनांक 01.02.2000 को दोनों पक्षों को सुनकर स्थगन जारी कर हरिसिंह भूमि को आगे बेचेगा नही तथा बलदेव के कब्जे में व्यवधान नहीं डालेगा। हरिसिंह ने दिनांक 19.04.2008 को अपीलांट्स को वादगत भूमि बेच दिया। उक्त बेयनामें के आधार पर दिनांक 25.04.2008 को इंतकाल दर्ज करने का आदेश हुआ। इंतकाल के समय पटवारी रिपोर्ट में कब्जा शिवराजसिह का बताया गया। पटवारी द्वार गलत रिपोर्ट के आधार पर इंतकाल शिवराजसिंह के पक्ष में दर्ज हुआ। इस प्रकार न्यायालय के आदेशों की अवहेलना में हरिसिंह द्वारा विवादित रकबा का बेचान किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 31.05.2010 यथावत रखा जावें और अपील अपीलांट निरस्त की जावें।

4—हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांत एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर ने उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की अपील को स्वीकार कर इंतकाल संख्या 378 दिनांक 06.05.2008 को निष्प्रभावी घोषित कर दिया। उक्त वादगत भूमि दिनांक 19.04.2008 को विक्रय हुई एवं उसका इंतकाल 25.04.2008 को दर्ज हुआ। उक्त इंतकाल संख्या 377 दिनांक 25.04.2008 रजिस्टर्ड बैयनामें के आधार पर दर्ज हुआ हैं ऐसी स्थिति में जब तक अपीलाधीन बेयनामा को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता है, तब तक उक्त रजिस्टर्ड बैयनामें के आधार पर दर्ज इंतकाल को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त इंतकाल संख्या 377 दिनांक 25.04.2008 के क्रम में इंतकाल संख्या 378 दिनांक 06.05.2008 दर्ज हुआ उसे निष्प्रभावी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की मियाद 60 दिवस की होती है परन्तु अपीलांट ने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

60 दिवस के पश्चात अपील प्रस्तुत की है लेकिन उक्त तमाम तथ्यो के वावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में मियाद जैसे महत्वपूर्ण विन्दू पर निर्णय नही कर नियमो का उल्लघंन किया है। जो नियमानुसार उचित प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2010 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर नियमानुसार निर्णय पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त
संभाग-बीकानेर